न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेंट कक्ष संख्या 05 मेरठ।

वाद संख्या 6904/16

मैसर्स मनीष हैण्डलूम प्रति मैसर्स हाजी एस के पी सन्स आदि

धारा 138 एन आई एक्ट

लालकुर्ती मेरठ।

20.10.2016

परिवाद वाद पेश हुआ। आज आदेश हेतु नियत है पूर्व दिनांक पर बहस सुनी जा चुकी है।

परिवादी फर्म के प्रोपराईटर मनीष रोचलानी की ओर से परिवाद प्रस्तुत कर कहा गया कि वह परिवाद प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत है परिवादी प्रोपराईटर का कहना है कि उसकी फर्म उच्च क्वालिटी की हैण्डलूम कपडे आदि के क्रय विक्रय का काम करती है उक्त कपडे की विधिक देनदारी की बाबत विपक्षीगण पर 42673/—रूपये की विधिक देनदारी थी जिसकी बाबत विपक्षीगण की ओर से एक चैक अंकन सात हजार रूपये इस विश्वास के साथ दिया गया कि बैक मे प्रस्तुत करने पर कैश हो जायेगा जिसे उसने बैक मे प्रस्तुत किया परनतु बैक मे पर्याप्त धनराशि नही होने के कारण अनादरित होकर वापस हो गयां इसकी बाबत नोटिस दिया परन्तु भुगतान नही किया तब यह परिवाद वाद प्रस्तुत किया।

परिवादी की ओर से अपने कथन के समर्थन में मनीष का शपथ पत्र दाखिल किया गया है तथा साथ ही मूल चेक, बैंक मीमो, डाक रसीद व नोटिस की छाया प्रति दाखिल की गयी है।

सुना तथा परिवाद का अवलोकन किया।

परिवाद अन्दर अवधि प्रस्तुत किया गया है। प्रथम दृष्टया मामला बनता प्रतीत होता है जिसके विचारण हेतु आहूत किये जाने योग्य है।

अभियुक्तगण मैसर्स हाजी एस के पी सन्स द्वारा प्रोपराईटर के0 हबीब मौहम्मद एंव के0 हबीब मौहम्मद को धारा 138 एन आई एक्ट के विचारण हेतु आहूत किया जाता है। परिवादी पैरवी करे, गवाह सूची दाखिल करे। वास्ते हाजरी दिनांक 28.11.16 को पेश हो।

ए सी जे एम 05 मेरठ।

This is uncertified copy for information/reference
for authentic copy please refer to certified copy only

Kishor Kumar Rastogi